

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 138/3170

प्रेषक,

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 13/2018

पटना, दिनांक 15.3.19

सेवा में,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सहायक निदेशक (तक०),  
तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0105-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852807890105, विषय शीर्ष 0105.33.01 सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि रू० 17.70 करोड़ (सतरह करोड़ सत्तर लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन विषय शीर्ष 0105.33.01 सब्सिडी मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए प्रोत्साहन राशि रू० 17.70 करोड़ (सतरह करोड़ सत्तर लाख रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-23, उपशीर्ष 0105-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852807890105, विषय शीर्ष 0105.33.01 सब्सिडी मद में तृतीय अनुपूरक आगणन एवं विभागीय पुनर्विनियोग ज्ञापांक 1391, दिनांक 08.03.19 द्वारा प्राप्त उपबंध से विकलित होगा।

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 1006 दिनांक 12.03.19 एवं विभागीय शुद्धि पत्र ज्ञापांक 1012, दिनांक 13.03.19 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। इस स्वीकृत्यादेश के सभी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाये तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-  
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० तथा CTMIS प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।  
6 राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 138/31/19

पटना, दिनांक 15.3.19

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 138/31/19

पटना, दिनांक 15.3.19

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0 डी0सी0-यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप निदेशक (तक0), स्टार्ट अप प्रभारी, तकनीकी विकास निदेशालय/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।